प्रकरण संख्या : 12/2023
मानसिंह वगै. बनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 12.02.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	12/2023
दायर दिनांक	:	19.05.2023
निर्णय दिनांक	:	12.02.2025

1. मानसिंह पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. मुकेश पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. रामकिशन पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज
2. उप तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 5565, 5567, 5569, 5570, 5571, 5576, 5578, 5579, 5568, 5577 स्थित है, जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी हैं। इस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहते हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 04.07.2022 को हो चुका है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे एवं किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी का पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:24 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण [illegible] तलबी की गयी। अप्रार्थीगण की ओर से तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज स्थित खसरा नम्बर 5565, 5567, 5569, 5570, 5571, 5576, 5578, 5579 कुल किता 8 कुल रकबा 1.94 है. भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

प्रकरण संख्या : 12/2023
मानसिंह वगै. वनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 12.02.2025

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने जवाव में ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्वर 5565, 5567, 5569, 5570, 5571, 5576, 5578, 5579 कुल किता 8 कुल रकवा 1.94 है॰ प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने का कथन किया है। चूँकि उक्त की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 5565, 5567, 5569, 5570, 5571, 5576, 5578, 5579 कुल किता 8 कुल रकबा 1.94 है॰ का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती कांश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:24 IST
Reason: SelfAttested